न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी महिपाल कुमार आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 05/2016

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
1. सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर		1. प्रकाश जैन पुत्र श्री केवलचन्द जैन उम्र 40 वर्ष, **(एफबीओ/मालिक)** फर्म मैसर्स नाकौड़ा ट्रेडर्स बस स्टेण्ड, उम्मेदनगर तहसील तिंवरी जिला जोधपुर निवासी चोहटे के अन्दर, उम्मेदनगर तहसील तिंवरी जिला जोधपुर
		2. पवन कुमार सोनी पुत्र श्री मोतीलाल सोनी **(प्रोप्रायटर/थोक विक्रेता)** फर्म मैसर्स पवन एजेन्सी, स्टेशन रोड़, ओसियां, जिला जोधपुर निवासी स्टेशन रोड़ ओसिया, जिला जोधपुर
		3. श्री पटेल जयन्तीलाल रामजी भाई **(निर्माता/भागीदार)** फर्म मैसर्स KRISHNA SALT WORKS SURVEY NO.375/2 PAIKI, NATIONAL HIGHWAY NO.5,TALUKA RAPAR, KUTCH, BHUJ GUJARAT RESIDING AT PLOT NO.26 MAHADEV NAGAR ANJAR-KUTCH
		4. श्री पटेल केतन गोरधनभाई **(निर्माता/भागीदार)** फर्म मैसर्स KRISHNA SALT WORKS SURVEY NO.375/2 PAIKI, NATIONAL HIGHWAY NO.5,TALUKA RAPAR, KUTCH, BHUJ GUJARAT RESIDING AT PLOT NO.26 MAHADEV NAGAR ANJAR-KUTCH
		5 श्रीमती केतनभाई जयन्तीलाल **(निर्माता/भागीदार)** फर्म मैसर्स KRISHNA SALT WORKS SURVEY NO.375/2 PAIKI, NATIONAL HIGHWAY NO.5,TALUKA RAPAR, KUTCH, BHUJ GUJARAT RESIDING AT PLOT NO.26 MAHADEV NAGAR ANJAR-KUTCH
		6. फर्म मैसर्स KRISHNA SALT WORKS SURVEY NO.375/2 PAIKI, NATIONAL HIGHWAY NO.5,TALUKA RAPAR, KUTCH, BHUJ GUJARAT RESIDING AT PLOT NO.26 MAHADEV NAGAR ANJAR-KUTCH **(निर्माता फर्म)**

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) एवं धारा 51 के तहत

उपस्थितिः–
1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।
4. अप्रार्थी संख्या 3 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक जोशी उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 12.03.2019

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 03..09.2015 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी गश्त चैकिंग मैसर्स नाकौड़ा ट्रेडर्स, बस स्टेण्ड, उम्मेदनगर तहसील तिंवरी जिला जोधपुर पर पहुंच कर निरीक्षण करने पर मालिक व विक्रेता की हैसियत से श्री प्रकाश जैन पुत्र श्री केवलचन्द जैन उम्र 40 वर्ष निवासी चौहटे के अन्दर, उम्मेदनगर तहसील तिंवरी जिला जोधपुर उपस्थित मिले जो आम जनता को उपयोग हेतु किराणा सामान घी, खाद्य तेल मसाले एवं आयोडाईज्ड नमक आदि विक्रय करते हुए पाये गये। विक्रेता से वर्ष 2015 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा तो उन्होने अनुज्ञा पत्र संख्या 22212032002953 पेश किया जिसके अनुसार उक्त फर्म का मालिक स्वयं को होना बताया। दुकान का निरीक्षण करने पर रैक्स में **आयोडाईज्ड सॉल्ट (कृष्णा) 1 किलोग्राम के 30 पैकेटस** आम जनता को वास्ते विक्रय रखे थे। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट/अमानक स्तर का शक होने पर इसकी जांच एफ.एस.एस.एक्ट के तहत कराने हेतु रूबरू गवाह श्री दलीचन्द जैन पुत्र श्री रतनलाल जैन निवासी चौहटे के अन्दर, उम्मेदनगर तिंवरी जिला जोधपुर एवं मेरे साथ गये श्री भैराराम प्रजापत, च0श्रे0कर्मचारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर के सामने विक्रेता को प्रपत्र 5ए भरकर देकर रसीद प्राप्त की एवं विक्रेता को उनके बताये गये बाजार भाव से रूपये 40/- नगद देकर **आयोडाईज्ड सॉल्ट (कृष्णा) 1 किलोग्राम के 4 मूल पॉली पैकेटस** एक ही बैच व निर्माण तिथि के वास्ते जांच खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं।

उक्त खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **आयोडाईज्ड सॉल्ट (कृष्णा) 1 किलोग्राम के 4 पैकेटस** को चार गत्ते के डिब्बों में बंद किया गया एवं उक्त हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर **एम-893** खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। इन चारो नमूनों को अलग-अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप **एम-893** हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचें पेदें गोलाई में गोंद से चिपकाई गयी एंव चारों नमूनों को अलग-अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार-चार सील चपडी की लगाई एक नमूनें के सिर पर एक पेदें पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवायें तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे मे किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना **एम-893** सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की तथा मौका फर्द पर स्वयं गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार की। जिन पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया। उक्त सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा दिनांक 04.09.2015 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की।

प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया कि चारों नमूनों को अलग अलग भागों में **एम 893** की जांच कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान जोधपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट फॉर्म बी संख्या एलएस/663/एक्ट/2015/662 दिनांक 16.09.2015 अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जांच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ **आयोडाईज्ड सॉल्ट (कृष्णा)** का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण **अमानक स्तर (Sub Standard/Does not conform)** होना पाया गया। प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन पाये जाने से प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के साथ अभिहित अधिकारी का प्राधिकृत पत्र, गजट नोटिफिकेशन, पदस्थापना आदेश कार्यक्षेत्र की प्रति, संशोधित नोटिफिकेशन, कार्य क्षेत्र की अधिसूचना, प्रपत्र 5ए, नमूना खरीद की रसीद मौका फर्द, नाकौड़ा ट्रेडर्स का एफएसएसआई लाईसेन्स, नमूना संख्या एम-893 के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ सिल्ड भाग अभिहित अधिकारी को जमा, नमूना संख्या एम-893 एवं सिल्ड लिफाफा प्रारूप VI जमा रसीद, खाद्य विश्लेषक को जमा रसीद (प्रारूप VI के पीछे), जांच रिपोर्ट अग्रेषण पत्र 21286-87, जांच रिपोर्ट फार्म बी एलएस/663/एक्ट/2015/662, नाकोड़ा ट्रेडर्स को लिखा पत्र संख्या 84, मय रजि0रसीद, नाकोड़ा ट्रेडर्स को लिखा पत्र, मै0 पवन एजेन्सी ओसियां का चालान नम्बर 907, मै0 पवन एजेन्सी ओसियां एवं कृष्णा साल्ट अन्जार को लिखा रजि0पत्र 93-94 व 101-102 मय रजि0रसीदे, मै0 पवन एजेन्सी ओसिया का पत्र, मै0 पवन एजेन्सी का एफएसएसआई लाईसेन्स 1216032000003, मै0 पवन एजेन्सी का वेट-03 प्रमाण पत्र, कृष्णा साल्ट अन्जार का बिल संख्या 15-16/343, डिलवरी चालान 341/2015-2016, व केन्द्रीय एफएसएसआई ग्रान्ट पत्र, भागीदारी डिड, कामर्शियल टैक्स विभाग का फार्म 102 प्रमाण पत्र, न्याय निर्णयन स्वीकृति हेतु अभिहित अधिकारी को लिखा पत्र प्रस्तुत किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से परिवाद प्राप्त होने पर दिनांक 27.06.16 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये।

अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस सुनी गयी। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा आयोडाईज्ड सॉल्ट (कृष्णा) की जांच में अमानक स्तर होने का बताया गया है वह माल अप्रार्थी की फर्म से निर्मित एवं उत्पादित नहीं है तथा उसमें मिलावट व अमानक स्तर का होने से अप्रार्थी का कोई सरोकार नहीं है। अप्रार्थी के विरूद्ध पूर्व में कोई शिकायत या प्रकरण दर्ज नहीं है। अप्रार्थी द्वारा जो भी माल बेचान किया गया वह सही एवं उच्च गुणवता वाला था। प्रार्थी की ओर से उक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का बताया गया है वह पूर्णरूप से गलत एवं निराधार है। अतः अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप करने एवं प्रकरण को खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। अप्रार्थी संख्या 3 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक जोशी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा आयोडाईज्ड सॉल्ट (कृष्णा) की जांच में अमानक स्तर का होना बताया गया है वह माल अप्रार्थीगण की फर्म से निर्मित एवं उत्पादित है। उक्त माल अमानक स्तर का बताया गया है वह पूर्णरूप से गलत एवं निराधार है। अप्रार्थीगण द्वारा जो भी माल निर्मित कर बेचान किया गया वह सही एवं उच्च गुणवता वाला था। अतः अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 से 6 द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप करने एवं प्रकरण को खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) द्वारा प्रस्तुत पत्रावली एवं खाद्य विश्लेषक राजस्थान जोधपुर की रिपोर्ट का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन करने पर पाया कि अप्रार्थीगण ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन करने पर धारा 51 के तहत दोषी है। अत: **अप्रार्थी संख्या 01 व 02 प्रत्येक पर शास्ति रूपये 5,000/-** (अक्षरे रूपये पाँच हजार मात्र) कुल शास्ति रूपये 10,000/- (अक्षरे रूपये दस हजार मात्र), व **अप्रार्थीगण संख्या 3 से 6 पर शास्ति रूपये 10,000/-** (अक्षरे रूपये दस हजार मात्र) आरोपित की जाती है, अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय) जोधपुर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 12.03.2019 के एक माह के अन्दर अन्दर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करे। निर्णय की प्रति समस्त संबंधित को भिजवायी जावे।

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 12.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महिपाल कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय)
जोधपुर